आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 2/अंक 1/ मार्च 2022
Received: 03/02/2022; Accepted: 12/02/2022; Published: 24/03/2022

धर्म की आड में स्त्री शोषण (हलाला)

श्वेता मिश्रा
पीएच.डी. शोधार्थी,
हिंदी विभाग,
श्रीमती सी.एच.एम. कॉलेज,
मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

श्वेता मिश्रा, धर्म की आड में स्त्री शोषण (हलाला), आखर हिंदी पत्रिका, खंड 2/अंक 1/ मार्च 2022, (50-53)

संक्षेप

भारत में नारी का स्थान हमेशा से ही गंभीर विषय रहा है। भारत में आज भी नारी को केवल एक काम करने वाली तथा काम में आने वाली वस्तु समझा जाता है। भारत का इतिहास साक्षी रहा है कि भारतीयों ने नारी जाति को हमेशा एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया है। वैदिक युग में भी नारी को बहुत ही उच्च स्थान पर रखा जाता था। वेद और पुराणों में भी नारी को परमेश्वर की शक्ति के रूप में स्थान दिया जाता है लेकिन, आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अपने क्षेत्र में खास उपलब्धियां हासिल करने वाली कुछ महिलाओं का उदाहरण देकर हम महिलाओं की उन्नति को दर्शाते हैं। जैसे- रानी लक्ष्मीबाई, वजीरा तबस्सुम, सानिया मिर्जा, किरण बेदी आदि। परंतु महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया? और आम महिलाओं ने परिवर्तन को किस तरह से देखा? दरअसल असल परिवर्तन तो आना चाहिए आम लोगों के जीवन में एक जरूरत है उनकी सोच में परिवर्तन लाने की उन्हें बदलने की।

स्त्री शोषण कथित 'हलाला' से तात्पर्य:-

हलाला यानी 'निकाह हलाला' एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे दोबारा अपनी पत्नी से शादी करने के लिए या अगर वो पत्नी दोबारा अपने पति से शादी करना चाहती है तो औरत को हलाला करना होगा। शरिया के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक दे दिया और वो दोनों अलग हो गए। बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वह अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो बिना हलाला के शादी नहीं कर सकता।

'हलाला' के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी और ना सिर्फ शादी करनी होगी, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा

उसके बाद ही वह अपने पहले पति से निकाह कर सकती है और तलाक देने का अधिकार सिर्फ मर्द का है औरत का नहीं। औरत जो तलाक देती है उसका मतलब होता है 'हुल्ला' देना और 'हुल्ला' का अर्थ है कि- वह पति को कहे कि वह उसे तलाक दे, लेकिन हलाला में ऐसा नहीं होता। हलाला में जो दूसरा पति होता है उसे अपनी मर्जी से तलाक देना होता है। उसे कोई दबाव नहीं दे सकता कि तुम अपनी मर्जी से तलाक दो। हलाला होने की पूरी प्रक्रिया 'हुल्ला' कहलाती है।

जहां तक देखा-समझा गया है- हलाला का मतलब है एक तलाकशुदा औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह कर और फिर उससे या तो तलाक ले या उसके उस शौहर की मौत हो जाए, तभी वह पहले शौहर के लिए हलाल होती है, इसी का नाम हलाला है।

हलाला की जो यह प्रथा है यह एक सामान्य प्रथा है। इसको इस समय के कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से बना दिया है। हलाला बहुत ही बुरी चीज होती है। इसे इसलिए कराया जाता है कि जिससे पति के स्वतः स्वाभिमान को धक्का लगे। इससे डरकर वह अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए अपनी पत्नी को तलाक न दे।

इन सबके बीच जिस औरत को हलाल होना पड़ता है वह शोषित होती है। ना अपने पीहर की रह पाती है ना अपने पुराने शौहर के घर की, ना अपने नए शौहर के घर की। उसके पास किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं रह जाता है।

ऐसी ही एक कहानी जो मेवात की कठोर भाषा शैली में बहुत खूबसूरती से लिखी गई। 'कथा हलाला' कहानी की शुरुआत होती है डमरु से, जो एक कुंवारा रह गया किरदार है। जिसकी अब शादी की उम्र भी निकल चुकी है। वह और समाज के बाकी लोग उसकी शादी ना होने का कुसूर उसके रंग-रूप पर डालते हैं। उसके कमरे में टूटा-फूटा धुँधला पड़ा आईना रहता है, जिसमें वह अपना अक्स घूरता रहता है।

उसकी सबसे छोटी भावज आमना तो डमरू को सताते नहीं थकती और उसकी जुबान कभी काबू में नहीं रहती। जिसकी वजह से वह कई परेशानियों का कारण बन जाती है। वह सिंगर की बेटी है और कहते हैं कि सिंगर वाली जिस घर में जाए वहां लड़ाई करवा कर ही मानती है।[i] आमना को यह भी लगता है कि डमरू की उस पर बुरी नजर है पर फिर भी वह डमरू का विवाह नहीं होने देना चाहती। क्योंकि डमरू की लुगाई के आ जाने पर संपत्ति का और एक हिस्सा कर दिया जाएगा। डमरु की सबसे बड़ी भावज नसीबन ने डमरू को अपने बेटे से भी बढ़कर पाला है। नसीबन को अपने डमरू के शिष्टाचारों चारों पर और उसकी नेक नीयति पर बहुत गर्व होता है। नसीबन के कहने पर डमरू ने नजराना से निकाह कर लिया, ताकि नजराना अपने पहले पति के लिए हलाल हो जाए और वापस उसके घर जा सके। यह कथा 'हलाला' से जुड़े हर एक पहलू को पुष्प के पत्तों की तरह एक-एक कर बहुत लालित्य से खुलती है। हलाला से जुड़े चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उस हर व्यक्ति की स्थिति तथा मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। समय के साथ-साथ परिस्थितियां और सामाजिक परिवेश भी बदल गया। महिलाओं को एक मनोरंजन कि वस्तु समझा जाने लगा और दासी बनाकर घर में रखा जाने लगा। लोगों के विचार कितने बदल गए और उनके लिए **कबीर दास** का एक दोहा है -

नारी की झाई पड़त। अंधा होत भुजंग।

कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग।।[ii]

बदलते जमाने में नारी को हर क्षेत्र में आघात लगा। नारी शक्ति का प्रतीक ना होकर अबला बनकर रह गई।

मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।

आंचल में दूध और आंखों में पानी।।[iii]

लेकिन आज के समय में अबला को सबला बनाने की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैसे- हलाला, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति और भी ऐसे ही दूसरे विषय।

भारत के संविधान में लिखित महिलाओं के अधिकार उनको सशक्त बनाने का सबसे प्रभावशाली उपाय है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया वाक्य-

लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना आवश्यक है,[iv]

इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। संविधान के द्वारा जो नियम-कानून बनाए गए हैं उनको समझने की जरूरत है।

• निष्कर्ष:-

भारत में पिछले कुछ समय में तीन तलाक को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। आम लोगों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही तीन तलाक की यह प्रथा गलत है और इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। वहीं कुछ

इस्लामिक धर्मगुरुओं का कहना है कि- यह इस्लाम के खिलाफ है।

कई बार तो तीन तलाक यानी तलाक-ए-विद्दत के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नी को फोन, ई-मेल या पत्र लिखकर तलाक दे दिया है। कई मामले तो ऐसे भी थे कि जब नशे में पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है और सुबह उठ करके उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।

ऐसे में जरूरत है हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच और अपनी परंपराओं को बदलें और संवैधानिक और अपने समाज में भी बदलाव लाएं, ताकि एक सुनियोजित भविष्य बना सके।

मशहूर शायर **फैज़ अहमद फैज़** ने औरतों को लेकर एक नज़्म कही थी जिसके बोल थे... **"बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबाँ अब तक तेरी है..."।**[v] यह एक हद तक सच भी है। आज मुस्लिम महिलाओं में चेतना और शिक्षा का स्तर बढ़ा है। वे धर्म के नाम पर शोषण के कुचक्र को समझने लगी हैं। अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिये लड़ने का साहस उनमें आ गया है। तीन तलाक पर प्रस्तावित कानून बेशक एक 'लीगल रिफॉर्म' है, जो सोशल रिफॉर्स का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है...और कोई भी सामाजिक बदलाव यानी रिफॉर्म एक व्यापक प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद ही होता है।

समय है सोच में परिवर्तन लाने का। महिला सशक्त कदम बढ़ाने का। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम हैं- **Muslim women protection of rights on marriage bill 1939,**[vi] दहेज रोक अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2006.

[i] भगवानदास मोरवाल- हलाला कहानी संग्रह- वाणी प्रकाशन- प्रथम संस्करण - 2016

[ii] कबीर का दोहा- बीजक संग्रह।

[iii] मैथिलीशरण गुप्त का पद- अबला नारी।

[iv] भारतीय संविधान व नियमावली।

[v] हिंदी की दुनिया डॉट कॉम।

[vi] यूथ की आवाज डॉट कॉम।

****